

JMA/CSCors/2022-23/dt: 14th December, 2022

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No C/1, G Block,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Sub: Submission of Newspaper cutting of published notice to shareholders

Name of the Company	Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited
Symbol	JMA
ISIN	INE412C01023

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 47 and any other Regulation(s), if applicable, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper cutting of published notice to Equity Shareholders, as per the details given hereunder:

<u>Name</u>	<u>Date of Publication</u>	<u>Medium</u>
1. Financial Express	14th December, 2022	English
2. Jansatta	14th December, 2022	Hindi

You are requested to kindly take note of the above for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited

Ramkesh Pal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

JULLUNDUR MOTOR AGENCY (DELHI) LIMITED

CIN: L35999HR1998PLC033943

Regd. Office: 458-1/16, Sohna Road, Opp. New Court, Gurugram - 122001

Ph. No.: 0124-3019210, 211, 4233867-70;

Website: www.jmaindia.com Email: info@jmaindia.com

NOTICE TO THE EQUITY SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") on 28th February, 2017, the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") maintained by the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

Adhering to the various requirements set out in the IEPF Rules, the Company is communicating individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF, at their latest available address registered with the Company and full details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF are being uploaded on its website at www.jmaindia.com.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 18th March, 2023 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules, transfer the shares to the IEPF by the due date as stipulated in the IEPF Rules, without any further notice as per procedure stipulated in IEPF Rules which are as under:

- i) In case shares held in physical form: by issuance of duplicate share certificate(s) and thereafter by informing the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into DEMAT form and transfer in favour of the IEPF Authority.
- ii) In case shares are held in demat mode: by informing the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer of the shares in favour of the IEPF Authority.

The Concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said share(s) along with the dividend(s) from IEPF after following the procedure prescribed under the IEPF Rules. No claim shall, however, lie against the Company in respect of the said unclaimed dividends and the shares transferred as above.

For any queries on the subject matter, you may write/contact to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MAS Services Limited T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi 110 020, Phone: 011-26387281/82/83, Fax: 011-26387384, Email: investor@masserv.com and/or to the Company at abovementioned registered office or Email: info@jmaindia.com.

By Order of the Board of Directors of
Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited
Sd/-
Ramkesh Pal

Place: Gurugram
Date: 14th December, 2022

Company Secretary & Compliance Officer

affle

(INDIA) LIMITED

Office: A47 Lower Ground Floor,

Hauz Khas, New Delhi - 110016

compliance@affle.com, (P) 0124-4598749

5990DL1994PLC408172

SECTION 201 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Pursuant to the provisions of Section 201 of the Act and the rules made thereunder that apply to the Company to the Central Government under Schedule V and other applicable Sections/Paragraphs of the Companies Act, 2013, the appointment of Mr. Anuj Khanna Sohum as Managing Director of the Company with effect from 5 (Five) consecutive years. The approval of Mr. Anuj Khanna Sohum is a non-resident Indian.

For and on behalf of the Board of Directors

Affle (India) Limited

Sd/-

Parmita Choudhury

Company Secretary and Compliance Officer

Membership, No. A26261

Ant Private Limited

Bandra (East), Mumbai - 400 051

66 7446

SID'S) AND KEY INFORMATION MUTUAL FUND ('PGIM INDIA MF')

of Fund schemes which invests into n domiciled in Ireland. Following are

g Fund
tunities Fund, USD I Accumulation
quity Fund, USD W Accumulation
urities Fund, USD I Accumulation.

depend income as well as the capital

an investor. Dividends received by declaring dividends were bound to (ess) on the same before declaration taxable at the hands of the investor estors in the highest tax bracket, as of the AUM of the domestic scheme ic Fund Manager to make relevant

me with the features of the underlying ate Limited, the asset management Distribution Cum Capital Withdrawal

Name of Transferee Plans/ options under which Transferor options will be merged
Regular Plan - Growth Option

ual Fund

with sets you free

Asset Management Limited

0MH1995PLC220793)

Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg,

400 013. Tel No. +91 022 6808 7000

8 7097 • mf.nipponindiaim.com

NOTICE NO. 65

on India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following capital withdrawal (IDCW) plans of undernoted schemes of

Plan -	Amount of Distribution (₹ per unit)*	NAV as on December 12, 2022 (₹ per unit)
Plan -	0.1823	14.6945
Plan -	0.2132	15.0379
Plan -	13.1349	1023.2435
Plan -	13.3381	1023.3343

**Record Date
December 19, 2022**

MUTUAL FUNDS
Sahi Bai

उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, इकाई: मोहिउद्दीनपुर (मिरठ)

पत्रांक: एमओएच/पीडी/2022-23/811 दिनांक 13.12.2022

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

इकाई में निम्न कार्यों हेतु सीलबन्ध निविदायें दिनांक 17.12.2022 तक आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में इकाई कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

1. टरबाइन एवं आलटरनेटर की समस्त एसेसरीज को खोलना एवं टरबाइन व आलटरनेटर के बेड को खोलना तथा समस्त एसेसरीज को सुरक्षित स्थान पर रखना।
2. पावर टरबाइन को बाहर निकालने हेतु आवश्यक रूप शीटिंग/ट्रसेज/पॉलिं/कॉलम/साईड क्लैडिंग/ग्रेन्डी/दीवार आदि की डिस्मैन्टलिंग करना तथा सभी सामग्री को सुरक्षित स्थान पर रखना।
3. पावर टरबाइन/आलटरनेटर को स्थल के क्रैन द्वारा उठाकर ट्राले में सुरक्षित रूप से लोड करना।

किसी एक अथवा समस्त निविदा/निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(श्रीशपाल सिंह), प्रधान प्रबन्धक

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड

CIN: L35999HR1998PLC033943

पंजी. कार्यालय: 458-1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोन नं. 0124-3019210, 211, 4233867-70;

वेबसाइट: www.jmaindia.com; ई-मेल: info@jmaindia.com

इविटी शोयर्धारकों के लिए सूचना

विषय: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में कंपनी के इविटी शोयर्स का अंतरण
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा 28 फरवरी, 2017 को अधिसूचित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी को ऐसे शोयर्स को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के बनाये गये निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि ("आईईपीएफ") में अंतरित करना जरूरी है जिनके लिए शोयर्धारकों द्वारा निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक अवधि से लामांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है।

आईईपीएफ नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन में, कंपनी उन शोयर्धारकों को कंपनी में वर्तमान में उपलब्ध उनके पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचित कर रही है जिनके शोयर् आईईपीएफ में अंतरित किये जाने के लिए उत्तरदायी हैं और ऐसे शोयर्धारकों और आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले शोयर्स का पूरा विवरण वेबसाइट www.jmaindia.com पर अपलोड किया जा रहा है।

यदि कंपनी को संबंधित शोयर्धारकों से 18 मार्च, 2023 तक या ऐसी कोई बड़ाई गई अवधि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बिना कोई सूचना दिए निम्न तिथि के अनुसार ऐसे शोयर्स को आईईपीएफ में अंतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, जो निम्नानुसार है:

- 1) मौलिक प्रारूप में धारित शोयर्स के मामले में : डुप्लीकेट शोयर् प्रमाणपत्र जारी करके और उसके बाद डुप्लीकेट शोयर् प्रमाणपत्र को डिमेट प्रारूप में बदलने की कार्पोरेट प्रक्रिया के माध्यम से डिपॉजिटर को सूचित कर आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शोयर्स का अंतरण।
- 2) डिमेट प्रारूप में धारित शोयर्स के मामले में : कार्पोरेट प्रक्रिया के माध्यम से डिपॉजिटर को सूचित करते हुए शोयर्धारकों के खाते से आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शोयर्स का अंतरण।

संबंधित शोयर्धारक कृपया नोट करें कि ऐसे अंतरण के बाद वह आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके लामांश(शो) के साथ कथित शोयर्(शो) के संबंध में आईईपीएफ के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यद्यपि, उपरोक्त अनुसार कथित अदावाकृत लामांशों और हस्तांतरित शोयर्स के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शोयर् ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमएसएच सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020, फोन: 011-26387281/82/83, फैक्स: 011-26387384, ईमेल: investor@masserv.com पर अथवा उपरोक्त वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या ईमेल: info@jmaindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड

हस्ता/-

रामकेश पाल

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम

तिथि: 14 दिसंबर, 2022

इण्डियन ओवरसीज बैंक

प्रशांत विहार शाखा

ए-1/14, सेक्टर-14, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085

ईमेल आईडी : iob1542@iob.in दूरभाष : 011-27568657 एवं 011-27563876

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के साथ फ्रंट वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सर्फॉरिस अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत

1. जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सर्फॉरिस अधिनियम के तहत इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना निर्गत की है, जिसमें यहाँ नीचे सूचीबद्ध ऋणकर्ताओं/बंधकर्ताओं/गारंटर्स (यहाँ इसमें इसके उपरान्त "उक्त ऋणकर्ताओं" के रूप में संदर्भित) को सूचना में अंकित धननिधियों का, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूतिगुप्तान करने को कहा गया था।
2. उक्त सूचनाएं डाकव्यय प्राधिकारियों द्वारा अप्रदायक रूप में वापस कर दी गयी हैं/ऋणकर्ताओं/गारंटर्स द्वारा विधिवत रूप से अभिव्यक्ति नहीं की गई है। इसलिए बैंक अल्पकालीन वरतते हुए मांग सूचना के इस प्रकारान को प्रकाशित कर रहा है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता

55
3205

एतद्वारा लिए कंपनी के पंजी प्र-203पी ने सद्यों को ईमेलीकृत नहीं साईट

WWW
कंपासफर बुकपरोक्त वापि

कंपा द्वारा प्रेषित सेबी (सू कंपनी सदयिकार का प्रथम से

किस्सेमट (रिरीटीज डिप

उपप होगी औपनी के शेरूल को भी ट डाल दि

सर्वदुकरता इतिरि का अति तिथि यानुचुरोध भेप

बैलेन वाले सवठक में अपके तिपे अति रिपोर्ट का

शोर

1. त बोर्ड 1) उपाय नमूना क प्रति

2. न करे लने के आपको

कू काबद भी उतनी ही ज

कनियों के संविद्य के सवपन प्रोप्रेम में उनाइजर कनवदान केकदनी का कंपनी केके द्वारा किर्ता की रि

अ रिके द्वारा

फार्म ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
(कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 8 के अंतर्गत)
सिद्धि विनायक वीइकल प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संगत विवरण	
1. कार्पोरेट लेनदार का नाम	सिद्धि विनायक वीइकल प्राईवेट लिमिटेड
2. कार्पोरेट लेनदार के गठन की तिथि	02.09.2008
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट लेनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा
4. कार्पोरेट लेनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान सं.	U51109HR2008PTC064026
5. कार्पोरेट लेनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, का पता	जी-10/1102, सनसिटी हाइट्स सेक्टर-54, गुडगांव, -122011
6. कार्पोरेट लेनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	12.12.2022 (आदेश प्राप्त होने की तिथि) * आदेश 08.12.2022 को पारित किया गया
7. दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	10.06.2023
8. अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	राजन शर्मा आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBB/MPA-001/PP-02321/2021-2022/13548
9. बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता एवं ई-मेल	बी-78, फर्स्ट फ्लोर, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, नियर पोस्ट ऑफिस, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 ई-मेल : rajansharma2029@yahoo.com
10. अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल	बी-78, फर्स्ट फ्लोर, नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, नियर पोस्ट ऑफिस, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 ई-मेल : clrp.sidhivinayak@gmail.com
11. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	26.12.2022
12. अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुच्छेद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो	लागू नहीं
13. एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित किये गये इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग में तीन नाम)	लागू नहीं
14. (क) संगत फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण यहाँ उपलब्ध है	वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/en/home/loadedloads मौलिक पता : लागू नहीं

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 08.12.2022 को सिद्धि विनायक वीइकल प्राईवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है, हालांकि आदेश 12.12.2022 को प्राप्त हुआ था।

सिद्धि विनायक वीइकल प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्वारा नीचे नद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पक्ष 26.12.2022 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

हस्ता/-
राजन शर्मा

पंजीकरण सं. : IBB/MPA-001/PP-02321/2021-2022/13548

प्रपत्र जी
एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड
(मुंबई में होटल उद्योग में परिचालनरत) के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(भारतीय ऋणधोनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निर्णयित व्यक्तियों हेतु
ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया)
विनियमावली 2016 के विनियम 36ए (1) के अंतर्गत)

सुसंगत विवरण	
1. पैन/सीआईएन/एएलएपी नं. के साथ निर्णयित लेनदार का नाम	एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड सीआईएन : एल55101डीएल2007पीएलसी157518 पैन नं. : एएईसीसी0608सी
2. पंजीकृत कार्यालय का पता	हठमां तल, एरिया टॉवर, जेडब्ल्यू मैरिटाई नई दिल्ली एरोसिटी, एस्टे एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट आईजीआई एयरपोर्ट के समीप, नई दिल्ली 110037
3. वेबसाइट का यूआरएल	http://www.asianhotelswest.com/
4. उस स्थान के विवरण, जहाँ स्थायी परिसंपत्तियाँ अधिसंख्या में अवस्थित हैं	होटल इयात रेजेंसी मुंबई, सहर एयरपोर्ट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400 099
5. मुख्य उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	होटल एक लक्ष्मी 5 स्टार होटल है जो मुंबई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निकट है, हयात द्वारा परिचालित है। इसमें 401 खुली-बढ़ी जगह के अतिथि कक्ष, विश्व-स्तरीय वैवाहिक सेवाओं के अनुकूल खुले-बढ़ समलान परिसर, क्लब प्रना स्पा, पूल, फिटनेस सेंटर, रेजेंसी क्लब लाउंज, बिजनेस सेंटर, समस्त डे आइनिंग रेस्टोरेंट्स, बेकरी हैं। (वर्तमान में सभी सुविधायें अनुपलब्ध अर्थात् बंद हैं। होटल का परिचालन जून 21 में रोक दिया गया था)
6. विगत वित्तीय वर्ष में विक्रय किये गये मुख्य उत्पादों/सेवाओं की प्रमात्रा एवं मूल्य	समाधान पेशेवर (आरपी) को अभी तक निर्णयित लेनदार के परिचालन के संबंध में निर्णयित लेनदार के निर्णयित निवेशकों अथवा कर्मचारियों से कोई भी विक्रय प्राप्त नहीं हुआ है। अतः, विगत वित्तीय वर्ष में विक्रय की गई सेवाओं के संबंध में जानकारी अभी भी आरपी के पास उपलब्ध नहीं है।
7. कर्मचारियों/अनिकों की संख्या	एक (1)
8. अंतिम उपलब्ध दो वर्षों के वित्तीय विवरणों (अनुसंधियों के साथ), ऋणदाताओं की सूचियों, प्रक्रिया के उत्तरवर्ती अयोग्यताओं की सुसंगत तिथियाँ सहित आगे के विक्रय यहाँ पर उपलब्ध हैं -	विवरण, ईमेल : http://www.asianhotelswest.com पर उपलब्ध कराये गये हैं।
9. संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान आवेदकों की योग्यता यहाँ पर उपलब्ध है :	http://www.asianhotelswest.com/ पर उपलब्ध अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत आमंत्रण का संदर्भ लें
10. अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	13 जनवरी 2023